कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 1124 /2021/रायगढ़, दिनांक – 23/08/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of 0.117 ha. Forest land in favour of Singhal Energy Pvt. Ltd. For Laying Pipeline from Gerwani Nala to Plant for Water Supply in Raigarh District in the State of Chhattisgarh-regarding. (पंजीयन क्रमांक FP/CG/PIPELINE/37602/2018)**

संदर्भः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115–770/1897 रायपुर दिनांक 07.08.2021

2. सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमि. का पत्र दिनांक 17.08.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम–तराईमाल, तह.–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा गेरवानी नाला से तराईमाल स्थित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु पानी ले जाने के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.117 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गयी है जो निम्नानुसार हैः–

क्र.	चाही गयी जानकारी	विवरण
I	Examination of proposed alignment over google satellite imaginary revealed that instant pipeline is proposed adjacent to existing road.State Government need to submit specific comments on why the proposed pipeline cannot be laid down within the existing Row of road or next it.	प्रस्तावित पाईप लाईन के समीप स्थित रोड स्टेट हाइवे रायगढ से अंबिकापुर के चौड़ीकरण करने का कार्य राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित है। जिसके कारण सड़क के किनारे पाइप लाईन बनाने से बाद में क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, क्योकि इसमें कितनी जमीन रोड के चौडीकरण के लिए चाहिए, स्पष्ट नहीं है। अतः प्रस्तावित पाईप लाईन जहां कम पेड़ तथा खाली जगह ज्यादा है, से रोड़ के साथ ही पाईप लाईन कार्य प्रस्तावित है।
II	Details of alternative examined before finalization of proposed alignment along with comparative statement of all ecological parameters dully considered need to be submitted.	वैकल्पिक रुट की जानकारी निम्नानुसार हैः– <table><tr><td>S.No.</td><td>Root</td><td>Area in KM</td><td>Effected Forest land in Ha.</td></tr><tr><td>01</td><td>Proposed Root</td><td>2.60 km</td><td>0.117 ha.</td></tr><tr><td>02</td><td>Alternative Way-I</td><td>2.66 km</td><td>0.370 ha.</td></tr><tr><td>03</td><td>Alternative Way-II</td><td>5.09 km</td><td>0.232 ha.</td></tr></table>प्रस्तावित पाइप लाइन का एलाइनमेंट फाइनल करने

		से पहले रूट 01 जिसमें 0.117 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। परिस्थितिकी पैरामीटर्स का भलिभांति परीक्षण किया गया है। अतः प्रस्तावित रूट परिस्थितिकी पैरामीटर्स में सबसे उपयुक्त पाया गया है। ANX-I
III	Part-1, of form-A has been submitted without mentioning the date of submission. Also, Part-II submitted without mentioning the name of the signing authority.	पार्ट–1, फार्म–ए तथा पार्ट–2 में प्राधिकृति अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित कर संलग्न प्रेषित है। ANX-II
IV	Examination of compliance of scheduled tribe and other traditional forest dwellers (Recognition of forest rights) Act. 2006 revealed that the proceedings of sub division level committee have not submitted same need to be submitted.	उक्त व्यपवर्तन प्रकरण में कलेक्टर रायगढ़ का वन अधिकार वितरण प्रमाण–पत्र, राजस्व वनभूमि के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है। ANX-III
V	Details of employment potential in terms of man days of skilled,semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect)and temporary (direct and indirect) basis have not been provide.	इस परियोजना में कुल 25 मजदूरों को नौकरी मिलने की सम्भावना है। सभी 25 मजदूर अस्थायी होंगे जिसमें 05 कुशल, 05 अर्द्धकुशल एवं 10 अकुशल श्रमिक होंगे।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार।**

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 1125 /2021/रायगढ़, दिनांक – 23/08/2021

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल,रायगढ़

23/08/21

\\dfo2\D\All Section\D.M\Memo 2021\08- Aug- 2021.doc 29